

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-96/2005 (खण्ड-1)
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक, 2014.

धर्मेन्द्र सिंह, भा० प्र० से०,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स,
श्री के० के० नायल,
द्वारा-इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स,
H/O-श्री आर० पी० सिंह,
6/23, तिलक मार्ग, उत्तरी श्री कृष्णापुरी,
पटना-13

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 108 दिनांक 17.03.2006 एवं 142 दिनांक 21.09.2007 के नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों तथा सहायक कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 के में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 108 दिनांक 17.03.2006 एवं 142 दिनांक 21.09.2007 का संकत कीटनाशियों का नवीकरण उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2015 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	वैधता तिथि
1	मेसर्स समर्थमान एग्रीकेम लि०	Phorate 10% CG	31-12-2014
2		Sulphur 80% WP	31-12-2014
3		Mancozeb 75% WP	31-12-2014
4		Butachlor 50% EC	31-12-2014
5		2-4, D Sodium Salt 80% WP	31-12-2014
6		2-4,D Ethyl Ester 38% EC	31-12-2014
7	मेसर्स एफ० एम० सी० इण्डिया प्रा० लि०,	Carbofuran 3% G	31-12-2014
8		Carbosulfan 25% EC	31-12-2014
9		Carfentrazone Ethyl 40% DF	31-12-2014
10	मेसर्स पी० आई० इन्डस्ट्रीज लि०,	Phorate 10% CG	31-12-2015
11	मेसर्स एफ० आई० एल० इन्डस्ट्रीज लि०,	Atrazine 50% WP	31-12-2015
12		Butachlor 50% EC	31-12-2015
13		Carbendazim 50% WP	31-12-2015
14		Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP	31-12-2015
15		Cartap Hydrochloride 4% GR	31-12-2015
16		Chlorpyrifos 20% EC	31-12-2015
17		Copper Oxylchloride 50% WP	31-12-2015
18		Cypermethrin 25% EC	31-12-2015
19		Deltamethrin 1% + Triazophos 35% EC	31-12-2015
20		Dichlorovos 76% EC	31-12-2015
21		Hexaconazole 5% SC	31-12-2015
22		Imidacloprid 17.8% SL	31-12-2015
23		mancozeb 75% WP	31-12-2015
24		Lamda Cyhalothrin 5% EC	31-12-2015
25		Pretilachlor 50 % EC	31-12-2015
26		Sulfosulfuron 75% WG	31-12-2015
27		Sulphur 80% WDG	31-12-2015

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स द्वारा मेसर्स कृष्णा सीड्स, H/O अंजू कुमारी, W/O श्री शशि भूषण, प्लॉट नं०-637 (मेसर्स आलोक पेट्रोल पम्प के सामने) बड़ी पहाड़ी, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8-भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

9-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-108 दिनांक 17.03.2006 एवं 142 दिनांक 21.09.2007 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4653

/क०, पटना, दिनांक 27.10.2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।